उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-01/2007-08

बदी राम वगै0

बनाम्

मुकुन्द राम वगै0

—: आदेश :—

ांक

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता बदी राम वो पंकज राम, पे0—स्व0 श्रीपति राम, सा0—अमौर, अंचल—मेहरमा, जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0—100/2006—07 के आदेश दिनांक—19.02.2007 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0—100/2006—07 आदेश दिनांक—19.02.2007 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत अपीलकर्त्ता को मौजा—अमौर जमाबंदी नं0—80 के दाग नं0—265 रकवा 00—04—16 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता का आवेदन है कि मौजा—अमौर जमाबंदी सं0—80 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कपूरी राम वो शाम राम एवं अन्य के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता शाम राम के वारिश एवं उत्तराधिकारी है। गत सर्वे सेटलमेंट होने के बाद शाम राम एवं कपूरी राम के बीच उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0—265 रकवा 00—04—16 धुर जमीन पर कब्जा को लेकर विवाद रहा है तथा बाद में कपूरी राम के उत्तराधिकारी के द्वारा उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया गया। प्रक्रिया चलने के दौरान दोनों पक्ष में आपसी सहमति बना और दोनों पक्ष की ओर से समझोता आवेदन दाखिल किया गया। यद्यपि दोनो पक्ष में किसी तरह का कोई शिकायत नहीं रहा है, फिर भी निम्न न्यायालय ने दोनों पक्ष की ओर से दायर समझोता आवेदन को अस्वीकृत किया गया। निम्न न्यायालय के द्वारा दोनों पक्ष की ओर से तर्क पर विचार नहीं किया गया। जबकि समझोता होने पर अपीलकर्त्ता पर संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने

निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान उत्तरवादी पंचम राम की मृत्यु होने के कारण अपीलकर्त्ता के आवेदन पर उनके पुत्र मुकुन्द राम एवं संतोष राम को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। लेकिन प्रतिस्थानी पक्षकार को नोटिश देने के बाद भी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही अपना लिखित बहस दाखिल किया। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी को कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त तथ्यों एवं निम्न न्यायालय के पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष की ओर से निम्न न्यायालय में सुलहनामा आवेदन दाखिल किया था। लेकिन निम्न न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष की ओर से दायर सुलहनामा आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। वर्तमान अपील वाद में अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील वादगत जमीन के जमाबंदी के जमाबंदी रैयत शाम राम के उत्तराधिकारी के आधार पर दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा न तो अपील वादगत जमीन का गत सर्वे सेटलमेंट का पर्चा दाखिल किया गया है और न ही गत जमाबंदी रैयत से संबंध होने का कोई भी साक्ष्य दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा सुलहनामा आवेदन पर ही जोर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह अवैध हस्तांतरण का मामला है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–100/2006–07 में दिनांक–19.02.2007 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि दो माह के अंदर अपील वादगत जमीन पर उत्तरवादी को दखल दिलाकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:43:16 +05:30
Location: 192.168.29.8